ORDER SHEET

THE COURT

_____कुसुमहर चक्रवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया

_____आप0प्र0क्रं0____ 460 of 2022

_____शासन विरूद्ध आशीष सोनी_____

Date of order or proceeding	Order of proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
11-10-2022	आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड पिपरिया से अपराध क्रमांक 265/22 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियुक्त आशीष पिता हरप्रसाद सोनी उम्र 30 वर्ष, निवासी इतवारी टोरी, गांधी चौक वार्ड सागर, थाना मोतीनगर, जिला सागर के विरूद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त को न्यायालय की अभिरक्षा में लिया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है, इस कारण से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(ख) के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। दं.प्र.सं. की धारा 207 के अंतर्गत अभियोग पत्र की नकल नि :शुल्क प्रति अभियुक्त को उपलब्ध करायी जावे। प्रकरण पंजीयन हेतु भेजा जावे। (कुसुमहर चक्रवर्ती) न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी पिपरिया जिला नर्मदापुरम पुनश्चः आपराधिक(समरी)प्रकरण क्रमांक 460/22 म.प्र.राज्य विरूद्ध आशीष सोनी पर पंजीबद्ध होकर प्रकरण का अभिलेख वापस प्राप्त। अभियुक्त ने स्वैच्छया जुर्म स्वीकार करना व्यक्त किया।	

Date of order or proceeding	Order of proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त आशीष सोनी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया भा.द.वि. की धारा 279, 337 का अभियोग बनता है। तदनुसार अपराध की विशिष्टियां निर्मित की जाकर अभियुक्त को सुनाये समझाये जाने पर उसने स्वैच्छया जुर्म स्वीकार करना व्यक्त किया। अभियुक्त ने स्वैच्छया जुर्म स्वीकार करना व्यक्त किया। अभियुक्त से विधिक सहायता का पूछे जाने पर उसकी ओर से बताया गया कि वे विधिक सहायता प्राप्त नहीं करना चाहता है। अभियुक्त का अभिवाक अंकित किया गया। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय पृथक से टंकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त आशीष सोनी को भा.द.वि. की धारा 279 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/–(एक हजार) रूपये तथा भा.द.वि. की धारा 337(तीन काउण्ट) के तहत 3000/– (तीन हजार) रूपये के क्षतिपूर्ति से दंडित किया गया। अर्थदंड राशि अदा न करने पर आरोपी को क्रमशः 07–07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे। (कुसुमहर चक्रवर्ती) न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी पिपरिया जिला नर्मदापुरम पुनश्चः अभियुक्त आशीष द्वारा अर्थदंड/क्षतिपूर्ति की राशि 1000+3000 कुल 4000/– रूपये रसीद क्रमांक ..... द्वारा जमा की गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन, वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी को वापस लौटाया जाये। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे। (कुसुमहर चक्रवर्ती) न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी पिपरिया जिला नर्मदापुरम	

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
in the Court of **कुसुमहर चक्रवर्ती, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया**
Case No 460 of 2022 Complaint or report made on.....
Name and address of the Complainant .....

Name, parentage, caste and address of accused

1— आशीष पिता हरप्रसाद सोनी उम्र 30 वर्ष, निवासी इतवारी टोरी, गांधी चौक वार्ड सागर, थाना मोतीनगर, जिला सागर(म.प्र.)

The offence complainant of, and date of, its alleged commission

1— आप आरोपी आशीष सोनी के विरूद्ध यह अभियोग है कि आपने दिनांक 28—08—2022 को समय 20:30 बजे आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड पिपरिया के क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थान डोकरीखेड़ा मोड़ से पहले पचमढ़ी रोड पिपरिया में लोकमार्ग पर पिकअप वाहन एम.पी. 15जी—4042 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया। इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **279** के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

2— आपने उसी दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे चल रहे वाहन ऑटो उक्त वाहन में टकरा गया और उसमें बैठे व्यक्ति राजेश, राकेश एवं प्रदीप को उपहति कारित हुई। इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया जो भा.द.सं. की धारा **337(तीन काउण्ट)** के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

(कुसुमहर चक्रवर्ती)
न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी पिपरिया
जिला नर्मदापुरम

The ple of the accused and his examination (if any)-
आरोपी का अभिवाक है कि :—

(कुसुमहर चक्रवर्ती)
न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी पिपरिया
जिला नर्मदापुरम

The offence proved, if any, and in case under clause,(d) clause (e) clause(f) or clause(g)] of Sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offecnce has been committed.

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 11–10–2022 को घोषित किया गया)

1– आरक्षी केन्द्र पिपरिया के अभियोग पत्र के आधार पर आरोपी आशीष सोनी के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 337(तीन काउण्ट) का अभियोग है कि उसने दिनांक 28–08–2022 को समय 20:30 बजे आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड पिपरिया के क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थान डोकरीखेड़ा मोड़ से पहले पचमढ़ी रोड पिपरिया में लोकमार्ग पर पिकअप वाहन एम.पी. 15जी–4042 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया तथा उसी दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे चल रहे वाहन ऑटो उक्त वाहन में टकरा गया और उसमें बैठे व्यक्ति राजेश, राकेश एवं प्रदीप को उपहति कारित हुई।

2– अभियुक्त पर संक्षिप्त प्रक्रिया अंतर्गत आरोप समरी शीट पर अभियोग के सारांश बनाकर पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने स्वैच्छयापूर्वक जुर्म स्वीकार किया तथा अभियोजन दस्तावेजों का अवलोकन कराये जाने पर उन्हें स्वीकार किया।

3– अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। स्वैच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 279, 337(तीन काउण्ट) के तहत दोष सिद्ध पाया गया है।

4– अभियुक्त की प्रार्थना पर विचार किया गया। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, तब जबकि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी रूप से बीमित था और आरोपी के पास दुर्घटना दिनांक को वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाईसेंस था, ऐसी स्थिति में कोई भी वाहन चालक अपना स्वयं का जीवन दुर्घटना कारित करने में खतरे में नहीं डालेगा। तब निश्चित रूप से दुर्घटना आकस्मिक एवं अवश्यसंभावी प्रकृति की होने से आरोपी को बरती गई उपेक्षा में कारावास से दंडित करने की अपेक्षा उसे शिक्षाप्रद दंड से दंडित करना उचित प्रतीत होता है। तब अभियुक्त को सिद्ध दोष अपराध धारा 279 में न्यायालय उठने तक की सजा और 1000/–रूपये(एक हजार रूपये) तथा भा.द.सं. की धारा 337(तीन काउण्ट) के अंतर्गत 3000/– (तीन हजार रूपये) के क्षतिपूर्ति से दंडत किया जाता है। आरोपी द्वारा अर्थदंड राशि अदा न करने की दशा में 07–07 दिवस के कारावास की सजा पृथक से भुगतायी जावे।

5– अभियुक्त द्वारा अदा की गई क्षतिपूर्ति राशि 3000/– रूपये में से एक–एक हजार रूपये अपीलावधि पश्चात फरियादी/आहतगण को प्रदान की जावे।

6– प्रकरण में जप्तशुदा पिकअप वाहन एम.पी–15जी–4042 वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी को वापस लौटाया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का व्ययन किया जाये।

पिपरिया,
दिनांक 11–10–2022

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(कुसुमहर चक्रवर्ती)
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी पिपरिया
जिला नर्मदापुरम